लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/93/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 21.12.2018

श्री हनुमान बिश्नोई निवासी 12—डी, सेतिया कॉलोनी, मेनरोड़, श्रीगंगानगर—335001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

निर्णय

दिनांक 15.01.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन क्रमांक 25 दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 93/2018/(15.01)/936 दिनांक 21.12.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 15.01.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 15.01.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक 15.01.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/रसद/सू.अ./2019/13 दिनांक 10.01.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या 93/2018 (सू.अ.)
श्री हनुमान बिश्नोई निवासी श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री हनुमान बिश्नोई निवासी 12–डी, सेतिया कॉलोनी, मेन रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 22.10.2018 को आवेदन कर बिन्दु संख्या 1 से 9 तक बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो संबंधित को बिन्दु संख्या 1 से 5 तक प्रमाणित प्रति संलग्न कर रजिस्टर्ड भिजवायी गई एवं क्रम संख्या 6 से 9 तक की सूचना व्यक्ति विशेष की होने तथा जिसका जनहित से कोई संबंधि नहीं होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो सका। (प्रति संलग्न है।)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/रसद/सू.अ./2019/13 दिनांक 10.01.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की सूचना जरिये पत्रांक/रसद/सू.अ./2019/11 दिनांक 08.01.2019 (रजिस्टर्ड) से मय प्रमाणित प्रतिलिपियों के उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 6 से 9 तक की सूचना व्यक्ति विशेष की होने से तथा उक्त सूचना का जनहित से कोई संबंध नहीं होने से उपलब्ध नहीं करावाये जाने के संबंध में जरिये पत्रांक 11 दिनांक 08.01.2019 से ही अवगत कराया गया है।

चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना मय प्रमाणित प्रतिलिपियों के उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 6 से 9 के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं का अपीलार्थी से व्यक्तिगत तौर पर कोई संबंध नहीं है तथा न ही उक्त सूचना के प्रकटन में कोई लोक हित निहित है जिससे अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी ने अवगत करा दिया है, किन्तु सूचनाऐं उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराई जानी थी जो कि उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 93 / 2018 (सू.अ.)
श्री हनुमान बिश्नोई निवासी श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

निष्कर्षतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना / प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 93 / 2018(सू.अ.) / 58 दिनांकः– 17 / 01 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री हनुमान बिश्नोई निवासी 12–डी, सेतिया कॉलोनी, मेन रोड़, श्रीगंगानगर–335001

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)